



2026:AHC:124624

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19143 वर्ष 2026

जय देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : लवकुश कुमार भट्ट

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार भट्ट और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री राम कुमार वर्मा की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र, विचारण चलने के दौरान आपराधिक वाद संख्या 445/2025 बीएनएस की धारा 85, 80(2), 351(3), 103(1) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत; पुलिस थाना सेक्टर 39 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी और शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, मृतक के पति रोहित पर दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतक के साथ मारपीट करने का खास आरोप लगाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को इस मामले में सिर्फ इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह मृतक की सास है, जबकि आवेदक नोएडा में उनके साथ नहीं रह रही थी, बल्कि हरदोई जिले में अपने पति के साथ अपने मायके में रह रही थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण दम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घुटना है जो गला दबाने की वजह से हुआ, और यह काम खास तौर पर सह-आरोपी रोहित कुमार उर्फ प्रदीप द्वारा किया गया बताया गया है।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी राजेंद्र कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 17896 वर्ष 2026 में 25.05.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाली नागरिक है और 20.03.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

6. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है और आवेदक एक महिला है; साथ ही अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की भूमिका, जेलों में भीड़ और अवर न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को देखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और जमानत देने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765** मामले में इस न्यायालय के दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने की हकदार है। इसलिए, यह आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

7. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल याचिकाकर्ता - **जय देवी**, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-



- i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।
8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।
10. संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन करना चाहिए।
11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन तंत्र (बीओएमएस) के जरिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
12. जमानत देने की नीतिगत रणनीति मामले में स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में जापित और पिला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, 29.05.2026 को निर्णीत के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के अंदर गौतम बुद्ध नगर जेल अधीक्षक के जरिए ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल पर और विचारण न्यायालय को ई-मोड से भेजे।

जून 2, 2026

एस.सी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।